न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
61/2024 प्रा.पत्र/2024	20.08.2024	28.11.2024

सुरेश कुमार शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री अब्दुल कादिर पुत्र श्री अब्दुल रईस निवसी मोहल्ला चूडीगरान पुरानी टोंक, टोक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स ए जेड किराणा मर्चेन्ट काफला बाजार टोंक जिला टोंक राज0। पिनकोड–304001 मोबाईल नं0 7737505150।

2–मैसर्स ए जेड किराणा मर्चेन्ट काफला बाजार जिला टोंक राज0। पिनकोड–304001

........अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (iv) एवं दण्डनीय धारा 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अप्रार्थी श्री अब्दुल कादिर स्वयं उप.।

:–निर्णय–: **दिनांक 28.11.2024**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.02.2024 को समय 12:30 पी.एम. पर मैसर्स ए जेड किराणा मर्चेन्ट काफला बाजार जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर प्रोपरायटर की हैसियत से श्री अब्दुल कादिर पुत्र श्री अब्दुल रईस अपने प्रतिष्ठान ए जेड किराणा मर्चेन्ट काफला बाजार जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ गुड, तेल, घी, मसाले आदि खाद्य प्रदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला एवं उनको अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री अब्दुल कादिर पुत्र श्री अब्दुल रईस ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विकय करने हेतु दुकान में प्लास्टिक के एक कट्टे में लगभग 25 किलोग्राम **धनिया पावडर (खुला)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री अब्दुल कादिर पुत्र श्री अब्दुल रईस को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विकेता श्री अब्दुल कादिर पुत्र श्री अब्दुल रईस व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विकेता को वास्ते सूचनार्थ

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **धनिया पावडर (खुला)** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, दुकान में प्लास्टिक के एक कट्टे में धनिया पावडर (खुला) लगभग 25 किलोग्राम **धनिया पावडर (खुला)** में से 2 किलोग्राम नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुद **धनिया पावडर (खुला) 2** किलोग्राम को अलग–अलग चार साफ व सूखी प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर–बराबर 500–500 ग्राम भरकर डिब्बों के ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3885 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3885 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/266 दिनांक 11.03.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट एलएस/559/एक्ट/2024/696 दिनांक 27.02.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **धनिया पावडर (खुला)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के रेगुलेशन (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बधन) नं. 2.3.14.(15) के अनुसार **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री अब्दुल कादिर स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र खुले में विक्रय करने के कारण उक्त नमूना कॉन्ट्रावेन स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **धनिया पावडर (खुला)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हमने अप्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **धनिया पावडर (खुला)** का नमूना जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (iv) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 5,000/– (अक्षरे पांच हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 28.11.2024 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0